भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1251
जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

व्यापारहीनता के कारण एमएसएमई पर प्रभाव

1251. श्री अरुप चक्रवर्ती:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश व्यापार वित्त में हीनता का सामना कर रहा है, जिससे उसके एमएसएमई निर्यातकों, विशेषकर उभरते बाजारों की तुलना में, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सिडबी, एक्जिम बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल कितने मूल्य का निर्यात ऋण वितरण किया गया है;
(ग) क्या आरबीआई ने गैर-संपार्श्विक और रियायती साधनों के माध्यम से ऋण प्रवाह में सुधार के उपायों की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उच्च जोखिम वाले निर्यातकों को सहायता देने के लिए एक संप्रभु-समर्थित निर्यात गारंटी सुविधा स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): बैंक और वित्तीय संस्थान पारंपरिक रूप से भारत में निर्यात वित्त का प्राथमिक स्रोत रहे हैं। पिछले पांच वर्ष (वित्त वर्ष 20-21 से वित्त वर्ष 24-25) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सिडबी और एक्ज़िम बैंक द्वारा संवितरित कुल निर्यात ऋण 21.71 लाख करोड़ रुपये था।

(ग): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई (निर्यातकों सहित) को ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें आरबीआई द्वारा जारी विनियम शामिल हैं, जो (i) 10 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण, (ii) इस तरह के उधार के लिए पूंजी की अपेक्षा में छूट की अनुमति (iii) बाहरी बेंचमार्क आदि से जोड़कर ब्याज दरों में पारदर्शिता, का निर्धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 14.11.2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (व्यापार राहत उपाय), 2025 जारी किया, जिसमें निर्यातकों को ब्याज और मूल किस्तों के पुनर्भुगतान में स्थगन, निर्यात आय प्राप्ति अवधि में विस्तार करने, ऋण परिसमापन की पैकिंग में लचीलापन आदि सहित विभिन्न राहत प्रदान की गई।

(घ): वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 12.11.2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ करना है। ईपीएम दो एकीकृत उप-योजनाओं, अर्थात निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से संचालित होता है। निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत, चूंकि यह औपचारिक संप्रभु समर्थित निर्यात गारंटी सुविधा नहीं है, इसलिए समर्थित जोखिम-शमन तंत्र के माध्यम से निर्यात ऋण प्रवाह को मजबूत करने के लिए दो मध्यवर्ती का प्रस्ताव है। इनका उद्देश्य निर्यात वित्त तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार करना है:

- निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक हेतु सहायता - निर्यात ऋण माध्यमों तक पहुंच हेतु अपर्याप्त संपार्श्विक वाले निर्यातकों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से ऋणदात्री संस्थाओं को आंशिक ऋण-जोखिम कवरेज प्रदान करता है।
- उभरते निर्यात अवसरों के लिए समर्थन - नए और कम सेवा वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण-वृद्धि समर्थन का प्रस्ताव करता है

*****